हर जिले के काम की समीक्षा

निवेशकों को सेवाएं देने में देरी या प्रक्रिया तोड़ने पर कार्रवाई तय

लखनऊ। प्रदेश सरकार सिंगल विंडो पोर्टल (निवेश मित्र) पर निवेशकों से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया की नियमित समीक्षा करेगी। जरूरी होने पर विभागीय प्रक्रिया में संशोधन भी किया जाएगा। निवेशकों के फीडबैक के आधार पर सेवाएं देने में देरी या निर्धारित प्रक्रियाओं के प्रतिकूल कार्यवाही से संबंधित मामलों में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को निवेशक फीडबैक पर कार्यवाही संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। अफसरों को हर महीने फीडबैक की समीक्षा कर कार्यवाही करनी होगी। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि निवेश मित्र पर आने वाले फीडबैक की मासिक समीक्षा इन्वेस्ट यूपी के स्तर पर भी की जाती है। पोर्टल पर निवेशक फीडबैक की सुविधा सितंबर 2019 में शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि अब तक 1,16,032 यूजर्स में से 74 प्रतिशत ने पूरी तरह संतुष्ट होने का फीडबैक दिया है। 12 प्रतिशत कम संतुष्ट तथा 14 प्रतिशत स्वीकृतियां प्रदान करने की सेवाओं से संतुष्ट नहीं थे।

आलोक कुमार ने बताया कि विभाग स्तरीय समीक्षा

मुख्य सचिव ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को जारी किए निर्देश, निवेश मित्र की सेवाओं से 74 प्रतिशत संतुष्ट व 26 प्रतिशत नाखुश

हर महीने फीडबैक की समीक्षा होगी, जरूरी हुआ तो प्रक्रिया बदलेंगे

डैशबोर्ड फीडबैक समझने में करेगा मदद

इन्वेस्ट यूपी ने निवेश मित्र पोर्टल पर निवेशक फीडबैक डैशबोर्ड विकसित किया है। इस डैशबोर्ड पर ऑनलाइन सेवाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं के श्रेणीवार आंकड़े और प्रत्येक प्रकरण के फीडबैक की सूचना उपलब्ध है। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों या प्रमुख सचिवों को डैशबोर्ड का उपयोग करने के लिए अलग से यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।

तंत्र असंतुष्ट उद्यमियों की समस्याओं व शिकायतों को समझने और हल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। शिकायत निवारण व यूजर फीडबैक के लिए एक अपडेटेड मॉड्यूल भी विकसित किया जा रहा है। निवेशकों पर विनियामक (रेग्यूलेटरी) भार को और कम करने के लिए अब तक 15 विभागों में 80 प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं को चिह्नित कर 52 का सरलीकरण किया जा चुका है।